रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112026-278082
CG-DL-E-20112026-278082

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 874] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 10, 2026/कार्तिक 19, 1948
No. 874] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 10, 2026/KARTIKA 19, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 976(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का में (स्टाफ नर्स) भर्ती नियम, 2001 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का, ओडिशा में परिचर्या अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, अस्का, ओडिशा, परिचर्या अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर –** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**: वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हे लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिचर्या अधिकारी।	03* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रुपये)।	लागू नहीं।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में विज्ञान स्नातक (ऑनर्स); अथवा (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं।	दो वर्ष। **टिप्पण:** परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि	प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा/आमेलन शामिल है) द्वारा जिसके न हो सकने पर

या संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम से नर्सिंग में विज्ञान स्नातक; अथवा (iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पोस्ट बेसिक विज्ञान स्नातक नर्सिंग; और (ख) राज्य परिचर्या परिषद में नर्स अथवा नर्स और मिडवाइफ (रजिस्ट्रीकृत नर्स अथवा रजिस्ट्रीकृत नर्स और मिडवाइफ) के रूप में रजिस्ट्रीकृत; अथवा 2. (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड अथवा परिषद से साधारण नर्सिंग मिड-वाइफरी में डिप्लोमा; (ii) राज्य परिचर्या परिषद में नर्स अथवा नर्स और मिडवाइफ (रजिस्ट्रीकृत नर्स अथवा रजिस्ट्रीकृत नर्स और मिडवाइफ) के रूप में रजिस्ट्रीकृत; और (iii) खंड (2) के उप-खण्ड (i) में उल्लिकित शैक्षिक अर्हताएं हासिल करने के पश्चात कम से कम पचास बिस्तरों वाले अस्पताल में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों से जो लेखबद्ध किये जाएं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक होगा।	सीधे भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।**	**भर्ती करते समय में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा/आमेलन शामिल है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन या स्वायत्त निकाय या सांविधिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधीन ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हुए हैं; और (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35400-112400) रुपये) या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद, 5 वर्षों की सेवा की है; और; (ख) जो स्तम्भ (7) के तहत सीधे भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं; **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्र सरकार के उसी या अन्य किसी संगठन य़ा विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। **टिप्पण-2 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-3 :** केवल केंद्र या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी के ही आमेलन के लिए विचार किया जाएगा।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित शामिल है: 1. उप महानिदेशक (कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - अध्यक्ष; 2. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, अस्का, ओडिशा - सदस्य; 3. निदेशक (कुष्ठ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य;	लागू नहीं।

[फा. सं. ए.12018/41/2018-कुष्ठ]

श्रीकांत सिंह कुशवाहा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 976(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska (Staff Nurse) Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Nursing Officer in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska, Odisha, Nursing Officer (Group 'B' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.- The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nursing Officer.	03*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding thirty years of age.	(a) (i) Bachelor of Science (Honours) in Nursing from a recognised University or	Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a

(Relaxable for the Government servants upto the five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	institute; or (ii) regular course in Bachelor of Science Nursing from a recognised University or institute; or (iii) Post Basic Bachelor of Science Nursing from a recognised University or institute; and (b) registered as a nurse or nurse and mid-wife (registered nurse or registered nurse and registered Midwife) with the State Nursing Council; or (c) (i) Diploma in General Nursing Mid-wifery from a recognised Board or Council; (ii) registered as a nurse or nurse and mid-wife (registered nurse or registered nurse and registered Midwife) with the State Nursing Council; and (iii) one year experience in minimum fifty bedded hospital after acquiring the educational qualifications as mentioned in sub-clause (i) of clause (c). **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisites experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract)/absorption, failing which by direct recruitment.	Deputation (including short-term contract)/absorption): Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised University or recognised research institution,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; and (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-6 in the pay matrix (Rs.35400-112400) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruitment under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration shall only be considered for absorption.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Director General (Leprosy), Directorate General of Health Services – Chairperson; 2. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Aska -Member; 3. Director (Leprosy), Directorate General of Health Services -Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/41/2018-Lep]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 977(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (प्रयोगशाला परिचर) भर्ती नियम, 2006 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर में बहुकार्य कर्मचारीवृंद(प्रयोगशाला परिचर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, बहुकार्य कर्मचारीवृंद (प्रयोगशाला परिचर) (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबंधित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह आदेश देकर तथा उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहुकार्य कर्मचारी-वृंद (प्रयोगशाला परिचर)	01* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष की आयु तक और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष की आयु तक शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 1:** आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी, न कि वह नियत तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है। **टिप्पण 2 :** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती के मामले में आयु-सीमा निर्धारित करने हेतु निर्णायक तिथि वह अंतिम तिथि होगी, जिस तक नाम प्रस्तुत करने के लिए रोज़गार कार्यालय को कहा गया है।	(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण; और (ii) किसी मान्यताप्राप्त चिकित्सा प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण :** परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेशन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने अथवा लंबे समय से बीमार होने	लागू नहीं होता ।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) में निम्नलिखित	लागू नहीं होता ।

अथवा अध्ययन अवकाश पर चले जाने पर अथवा अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक समय के लिए होने वाली रिक्तियों को केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जा सकेगा; (क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ख) जो स्तम्भ (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं।		होंगे :- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ - सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ - सदस्य;	

[फा. सं. ए.12034/01/2017-कुष्ठ]

श्रीकांत सिंह कुशवाहा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 977(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur (Laboratory Attendant) Recruitment Rules, 2006, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff (Laboratory Attendant) in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely: -

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur Multi-Tasking Staff (Laboratory Attendant), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff (Laboratory Attendant).	1*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -1 in the pay matrix (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be closing date for receipt of application from the candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age- limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	(a) 10th class pass from a recognised Board; and (b) one year experience in a recognised Medical Laboratory. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case candidates are otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years. **Note:** There shall be a mandatory	By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering	Not applicable.

induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government, - (a) holding analogous posts on a regular basis; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column number (7).		confirmation) consisting of :- 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur -Chairman; 2. Deputy Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur - Member; 3. Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur -Member.	

[F. No. A-12034/01/2017-Lep]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 978(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, परा चिकित्सीय कर्मकार (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में परा चिकित्सीय कर्मकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, परा चिकित्सीय कर्मकार (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.- वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति, जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
परा चिकित्सीय कर्मकार	3* (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) । **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्रों लद्दाख, अंडमान और	(क) आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण; (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मकार कोर्स; या (iii) किसी मान्यताप्राप्त राज्य परिचर्या परिषद से सहायक नर्स मिडवाइफ का प्रमाणपत्र और किसी मान्यताप्राप्त राज्य परिचर्या परिषद में सहायक नर्स या मिडवाइफ के रूप में पंजीकरण होना चाहिए; या (iv) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से महिला बहुद्देशीय	लागू नहीं होता।	दो वर्ष **टिप्पण:** सीधी भर्ती के मामले में परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2 :** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	स्वास्थ्य कर्मकार कोर्स; या (v) केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (या इसके समतुल्य) और भारतीय परिचर्या परिषद द्वारा विहित तय पाठ्यक्रम के अनुसार, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा की वोकेशनल स्कीम के अधीन सहायक नर्स मिडवाइफ कोर्स। (ख) वांछनीय: कुष्ठ के क्षेत्र में एक वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या	लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें	लागू नहीं होता।

लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केंद्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरी जा सकेगी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19900-63200 रुपये) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात तीन वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।		निम्नलिखित होंगे :- 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष; 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य; 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य; 4. क्षेत्र में केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार के अन्य किसी कार्यालय के राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/10/2017-कुष्ठ]

श्रीकांत सिंह कुशवाहा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 978(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chhattisgarh, Para Medical Worker, (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2022, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Para Medical Worker in the Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chhattisgarh under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur, Chhattisgarh, Para Medical Worker (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Para Medical Worker.	3*(2026) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-3 in the pay matrix (Rs.21700-69100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt or applications from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladhakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange the crucial date for determining the age-limit shall be the closing date upto which the employment exchanges is asked to submit the names.	(a) Essential: (i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) multipurpose health worker course from a recognised institute; or (iii) certificate of Auxiliary Nurse Midwife from a recognised State Nursing Council and must have been registered as Auxiliary Nurse or Midwife with a recognised State Nursing Council; or (iv) female multipurpose Health Worker course from a recognised institute; or (v) Auxiliary Nurse Midwife course under 12th class vocational scheme from recognised Board as per syllabus prescribed by the Central Board of Secondary Education or its equivalent and the Indian Nursing Council. (b) Desirable: Field experience in leprosy for one year.	Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

	Note 1: The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of competent authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment. **Note:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of the Central Government,- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : - 1. Director, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur – Chairman; 2. Chief Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur – Member; 3. Senior Medical Officer, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur -Member; 4. A Gazetted Officer from another Central Government or State Government	Not applicable.

		office in the area - Member.	

[F. No. A-12018/10/2017-Lep.]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 979(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलपेट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, जहां तक उनका सम्बंध क्षेत्रीय अन्वेषक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में क्षेत्रीय अन्वेषक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, क्षेत्रीय अन्वेषक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद - संख्या,वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद/पदों की संख्या, उसका/उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका/उनका स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा,अर्हताएं, आदि - उक्त पद/पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता -वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से,जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है,तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति -जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क्षेत्रीय अन्वेषक।	2*(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनअनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रूपए)	अचयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियोंके लिए शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से	अनिवार्य: i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण; ii) सहायक नर्स या मिडवाइफ (दाई) या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मी का डिप्लोमा पूरा करने के पश्चात स्वास्थ्य विजिटर या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के पाठ्यक्रम मे उत्तीर्ण है और पाठ्यक्रम भारतीय नर्सिंग परिषद में पंजीकृत होना चाहिए; iii)अभ्यर्थियों को केंद्रीय सरकार के अस्पताल या संस्थान से कुष्ठ रोग में गैर-चिकित्सीय पर्यवेक्षक या बहुउद्देशीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा; iv)कुष्ठ रोग क्षेत्र पर्यवेक्षण कार्य में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, कारणों के लिए जो लेखबद् किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं, कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण आज्ञापक है।

नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	(क) प्रोन्नति (i) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ क्षेत्रीय अन्वेषक या गैर चिकित्सीय विश्लेषक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है; या (ii) यदि पोषक प्रवर्ग में कोई पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तो पद ऐसे परा चिकित्सीय कर्मचारियों में से भरे जाएंगे जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100 रुपये) श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। (ख) प्रतिनियुक्ति: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. उप निदेशक (महामारी विज्ञान), केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक (महामारी विज्ञान), केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 3. सहायक निदेशक (सूक्ष्म), केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 4.चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य। समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के	लागू नहीं होता।

	क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी, - (i) जो मूल प्रवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं के साथ वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) की श्रेणी में नियमित आधार में पांच वर्ष की सेवा कर चुके हैं; या (iii) स्तंभ (7) में विनिर्दिष्ट अर्हताओं के साथ वेतन मेट्रिक्स के स्तर-3 (21700-69100 रुपये) की श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं। **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमे निम्नलिखित होंगे:- 1. अपर निदेशक, केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - अध्यक्ष; 2. उप निदेशक (महामारी विज्ञान), केंद्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 3. चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु - सदस्य; 4. उस क्षेत्र में किसी अन्य केन्द्रीय सरकार /राज्य सरकार के कार्यालय का कोई राजपत्रित अधिकारी - सदस्य।	

[फा. सं. ए-12018/42/2019-लेप]

श्रीकांत सिंह कुशवाहा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 979(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group C posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Field Investigator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Field Investigator in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Field Investigator (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Field Investigator.	2*(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix. (Rs.29200-92300).	Non-selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age. (The upper age-limit is relaxable for the departmental candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of	Essential: (i) 12th class pass from a recognised Board; (ii) passed Health Visitor or Multipurpose Health Supervisor course after completion of Diploma in Auxiliary Nurse Midwife or Multipurpose Health Worker and the course is registered in the Indian Nursing Council; (iii) The candidates shall have successfully undergone training course of Non-Medical Supervisor or Multipurpose Health Supervisor in Leprosy from a Central	Not applicable.	Two years for direct recruitment. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	Government Hospital or institute; and (iv) Experience in Leprosy Field Supervision work for five years. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reason to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By promotion failing which by deputation, failing both, by direct recruitment.	(a) Promotion: (i) from Junior Field Investigator or Non-Medical Supervisor in level- 4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) with five years of regular service in the Grade; or (ii) from Para Medical Worker in level-3 in the pay matrix (Rs 21700-69100) with ten years of regular service in the Grade. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: - 1. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute - Chairperson; 2. Assistant Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute - Member; 3. Assistant Director (Micro), Central Leprosy Teaching and Research Institute -Member; 4. Medical Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute -Member.	Not necessary.

	juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. (b) Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service in the Grade in level-4 in the pay matrix (Rs.25000-81100) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years of regular service in the Grade in level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100) or equivalent in the parent cadre or department and (b) possessing the educational qualification and experience as specified under column (7). **Note 1:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 3:** The maximum age- limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute -Chairperson; 2. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute -Member; 3. Medical Officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute -Member; 4. A Gazetted officer from another Central Government /State Government office in the area - Member.	

[F. No. A-12018/42/2019-Lep]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 980(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चिंगलेपट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1980 को, उन बातों के सिवाय जहां तक उसका संबंध फार्मासिस्ट के पद से है, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है,स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू में फार्मासिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अधीन केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू फार्मासिस्ट (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर – उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में सूतर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
फार्मासिस्ट	02 * (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपए)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।□**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**
(6)	(7)	(8)	(9)
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1:-** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है। **टिप्पण 2:-** रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस दिन तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	(क) आवश्यक : (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण । (ii) मान्यताप्राप्त संस्था से फार्मेसी में बी. फार्मा या डिप्लोमा (पाठ्यक्रम दो वर्ष या अधिक की अवधि के लिए) (iii) पाठ्यक्रम भारत की फार्मेसी परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त हो और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के अधीन फर्मासिस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। (ख) वांछनीय: (i) फर्मासिस्ट के रूप मे मान्यताप्राप्त अस्पताल में न्यूनतम 2 वर्ष कार्य करने का अनुभव; और (ii) कंप्युटर का ज्ञान **टिप्पण 1:** अर्हताएँ, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हताएं उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किये जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम	**लागू नहीं होता।**	**दो वर्ष** **टिप्पण:** सीधी भर्ती के मामले में परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

	प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने की दशा में प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<u>प्रतिनियुक्ति:</u> केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकारी,- (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हैं; या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.) या उसके समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; या (iii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मेट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100 रु.) या उसके समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति के बाद उस श्रेणी में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों; और (ख) स्तंभ (7) के तहत सीधे भर्ती होने वालों के लिए निर्धारित योग्यता और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतगर्त केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर	विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1. अपर निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - अध्यक्ष; 2. उपनिदेशक (महामारी विज्ञान) केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू - सदस्य; 3. सहायक निदेशक, केन्द्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू, - सदस्य; 4. चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टू -सदस्य।	लागू नहीं होता।

	प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होंगी । **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने कि अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी		

[फा. सं. ए.12018/13/2019-कुष्ठ]

श्रीकांत सिंह कुशवाहा, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2026

G.S.R. 980(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Leprosy Training and Research Institute, Chingleput (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1980, in so far as they relate to the post of Pharmacist, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist in the Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu under the Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu, Pharmacist (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pharmacist.	02*(2026) *Subject to variation dependent	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 in the pay matrix (Rs.29200-92300).	Not applicable.

on workload.			
Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 and 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates upto the age of forty years in case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note 1:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub- Division of Chamba District of Himachal Pradesh and the Union territories of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2:** In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the employment exchange is asked to submit the names.	**(a) Essential:** (i). 12th class pass from a recognised Board; (ii) Bachelor's of Pharmacy or diploma in Pharmacy (duration of course two years or more) from a recognised institute; and (iii) The course shall be recognised by the Pharmacy Council of India and registered as Pharmacist under the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948). (b) Desirable: (i) Experience of having worked in a recognised hospital for minimum two years as a Pharmacist; and (ii) knowledge of computer. **Note 1:** The qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years. **Note:** There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for direct recruits for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitments.**
(10)	**(11)**	**(12)**	**(13)**
By direct recruitment, failing which by deputation.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administration, - (a)(i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment to the posts on a regular basis in level- 5 in the pay matrix (Rs.29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with five years' service in the grade rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of : - 1. Additional Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu - Chairman; 2. Deputy Director (Epidemiology), Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member; 3. Assistant Director, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu -Member; 4. Medical officer, Central Leprosy Teaching and Research Institute, Chengalpattu – Member.	Not applicable.

[No. A-12018/13/2019-Lep]

SRIKANT SINGH KUSHWAHA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR Digitally signed by VINOD KUMAR Date: 2026.11.20 16:01:04 +05'30'